कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर

फोन/फैक्स नं.–02982–220442
E-mail : dcf.bmr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ ( )तक./उवसं/2019/7111 दिनांक : 14/6/19

निमित्

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-68 (Old NH-15) के किमी 109.740 से 113.445 के मध्य वायुयानों के उतरनें के लिये (Landing Air Strip) के लिये सडक को चौडा करने के संबंध में।

संदर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक F14( ) 2018 / FCA/PCCF/CCF EDS-I dated 30.01.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य उक्त प्रकरण में आक्षेपो की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर श्रीमान जी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	अनुपालना
1.	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अतंर्गत प्रस्तावित वन भूमि पर अधिकारों का निपटारा पूर्ण कर लिये जाने की कार्यवाही विवरण संलग्न नही किया गया है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अतंर्गत प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु कार्यालय जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिनांक 30.05.2019 को एन.ओ.सी. जारी की गई है। जिसकी 5 प्रति संलग्न की जा रही है।
2.	यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न दस्तावेज/वचनबद्धताओं में प्रस्ताव का नाम प्रस्ताव संख्या प्रस्तावित वन भूमि एवं दिनांक अंकित नही है।	यूजर एजेन्सी द्वारा अनुरोध किया गया है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न किये गये दस्तावेज/वचनबद्धताओं पर प्रस्ताव का नाम दिनांक इत्यादि अंकित करने हेतु यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधी को नियुक्त कर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक में भिजवाकर संसोधन किया जाना है।
3.	उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 (III) में वृक्षों की संख्या 1418 दर्शायी गयी है जबकि संलग्न सूची अनुसार 1419 वृक्ष है, अन्तर स्पष्ट किया जाना है एवं ऑनलाईन पार्ट II में 0 से 30 से0मी0 में नेगेटिव वेल्यू दर्शायी गई है जो सही की जानी प्रस्तावित है।	उक्त प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 (II) में वृक्षो की संख्या संलग्न सूची के अनुसार 1419 ही पायी गयी है। साथ ही 0 से 30 से.मी. गर्थ के वृक्षों की संख्या भी शून्य है। ऑनलाईन पार्ट II में 0 से 30 से.मी.में नेगेटिव वेल्यू दर्शायी गई है जो पार्ट में पूर्ति कर सही कर दी गई है।
4.	उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान मॉडल(मॉडल दर 136830.00 प्रति है0) के अनुरूप नही	उक्त प्रस्ताव मे 6.5976 हे0 भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु क्षतिपुर्ति वृक्षारोपण के लिये दुगने वन भूमि अर्थात 6.5976 x 2 = 13.1952 हे0 भूमि का 136830/– की दर से क्षतिपुर्ति राशि

	है एवं निर्धारित प्रपत्र में नही है।	रूपये 1805499.00 गणना की गई है।
5.	उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट ।। के अतिरिक्त सूचनाओं में एन0पी0वी0 गणना संलग्न नही है।	उक्त प्रस्ताव में एन.पी.वी. की गणना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।
6.	उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट ।। के अतिरिक्त सूचनाओं में स्थल उपयुक्ता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही है।	उक्त प्रस्ताव में स्थल उपयुक्ता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।
7.	उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट ।। के अतिरिक्त सूचनाओं में प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकशन संलग्न नही है।	उक्त प्रस्ताव में वन भूमि का गजट नोटिफिकशन संलग्न है।
8.	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावजों की इंडेक्सिंग नही की गई है।	यूजर एजेन्सी द्वारा अनुरोध किया गया है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न किये गये दस्तावेज/वचनबद्धताओं पर प्रस्ताव का नाम दिनांक इत्यादि अंकित करने हेतु यूजर एजेन्सी के प्रतिनिधी को नियुक्त कर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक में भिजवाकर संसोधन किया जाना है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विक्रम केशरी प्रधान)
(भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
बाड़मेर

क्रमांकः एफ ( )तक./उवसं/2019/7112-13 दिनांक : 14/6/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)राजस्थान जयपुर।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाडमेर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
बाड़मेर

Jaisalmer Barmer NHAI 18/06/19